संख्या- 21/2016/1482 /अडतीस-7-2016-12एलसी/2014टीसी

प्रेषक,

हीरा लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर 2016**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर रखे गये ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर रखे गये ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या -2165/अडतीस-7-2012-223नरेगा/2012टीसी दिनांक 01-10-2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम रोजगार सेवकों की मांगों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दिनांक 01-11-2016 से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय रू0 3630/- प्रतिमाह के स्थान पर पुनरीक्षित करते हुए रू0 6000/- प्रतिमाह कर दिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(हीरा लाल)
विशेष सचिव ।

संख्या- 21/2016/1482 (1)/अड्तीस-7-2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक/ उपायुक्त श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।